राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 13/2017- 8200 /वि०स०, दिनांक- 4/10/17

प्रिय ....

षोडश बिहार विधान सभा का सप्तम् सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 21 अगस्त, 2017 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 25 अगस्त, 2017 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । सप्तम् सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें सम्पन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक सम्बोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र के शुभारम्भ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का यह सदन सर्वोपरी होता है एवं सरकार इसके प्रति उत्तरदायी होती है । इस सदन में प्रतिनिधिगण आपसी विमर्श के माध्यम से जनता की समस्याओं पर विचारण एवं इसका निराकरण करते हैं । इस तरह यह सदन विमर्श का सदन है । अगर इस सदन में सार्थक विमर्श नहीं हो तो इस सदन का महत्व ही मितर हो जाता है । आप सभी इस बात से अवगत हैं और अनेक पूर्वोदाहरण हैं जब सामाजिक संवेदनशीलता के मुद्दों पर इस सदन ने उल्लेखनीय एकजुटता दिखायी है, जिससे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाया है । इस परिप्रेक्ष्य में यह लाजिमी है कि हम सभी जनता से जुड़े मुद्दों पर अर्थपूर्ण विमर्श कर उनके निराकरण का प्रयास करें । पिछले दिन सदन में आप सबों ने जिस आत्मसंयम और अनुशासित ढंग से सदन के संचालन में सहयोग किया है, इसकी सर्वत्र सराहना हुई है ।

माननीय सदस्यगण, आज बिहार के लगभग 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं । एक करोड़ से उपर की आबादी इससे प्रभावित है । यह हम सबों के लिए चिन्ता का विषय है एवं इस संकट की घड़ी में हम उन तमाम आपदा पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं । यह हम सब का दायित्व भी है कि हम अपनी पूरी क्षमता से बाढ़ पीड़ितों की मदद करें । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सफल संचालन में आपका सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

महामहिम राज्यपाल का संदेश

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2017 को षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित ''आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016'' को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दोनों सदनों के पुनर्विचार हेतु भेजे गये संदेश से सदन को अवगत कराया गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 21 अगस्त, 2017 को पंचम सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा निम्न 12 (बारह) अनुमत विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2017
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017
3. बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017
4. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

5. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
6. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
7. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017
8. बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017
9. बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017
10. बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017
11. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
12. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

<u>वित्तीय कार्य</u>

दिनांक 21 अगस्त, 2017 को वित्त मंत्री के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन किया गया । दिनांक 24 अगस्त, 2017 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित समाज कल्याण विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 23 अगस्त, 2017 को वित्त मंत्री के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग को सदन में प्रस्तुत किया गया, जो गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''स्थानीय निकाय'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-110(4) के तहत् बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत् बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
8. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा-21 (5) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-37) के तहत निर्गत् अधिसूचना संख्या-

एस०ओ०-261, 262, 269, 270, दिनांक-07.10.2016 / एस०ओ०-285, 286, दिनांक-11.11.2016 / एस०ओ०-307, 308, दिनांक-16.12.2016 एवं एस०ओ०-32, 33 दिनांक-31.03.2017 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

9. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् निर्गत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-275, 276, 277 एवं 278, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
10. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा-10 (4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-38) के तहत निर्गत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-271, 272, दिनांक-07.10.2016 तथा एस०ओ०-287, 288, दिनांक-11.11.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
11. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20(2) के तहत् निर्गत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-267 तथा 268, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
12. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् निर्गत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-265, तथा 266, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
13. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत् अधिसूचना संख्या - एस०ओ०-103, 104, दिनांक-29.06.2017 / एस०ओ०-115, 116, 117, 118, 119 एवं 120, दिनांक-19.07.2017 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
14. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 (2) के तहत् ''बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2017'' की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
15. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा ''बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013'' एवं ''बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017
2. बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017
3. बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017
4. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017
5. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017
6. बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017
7. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017
8. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
9. बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017
10. बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017
11. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017

याचिका

इस सत्र में कुल 46 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 38 स्वीकृत हुए तथा 08 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 89 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 87 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 79 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 78 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 01 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी सूचनाओं में से 46 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये तथा 32 सूचनाएँ अपृष्ठ हुए ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन-रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय सुनीला देवी, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय अदनान खां, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय राजकिशोर सिन्हा, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय बद्री नारायण लाल, पूर्व स०वि०प०
5. स्वर्गीय पी.के. सिन्हा, पूर्व स०वि०प०

दिनांक 25 अगस्त, 2017 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

सेवा में,

....

....

....

आपका विश्वासी

25/9/17

(राम श्रेष्ठ राय)

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

25.9.17